

क्या आप घर में रहते हुए हिंसा से छुटकारा पाना चाहते हैं?

एप्रिहेंडिड डोमैस्टिक वायलेंस ऑर्डर
(घरेलू हिंसा की आशंका का आदेश)
(APPREHENDED DOMESTIC VIOLENCE ORDER)

एक्सक्लूज़न ऑर्डर (अपवर्जन आदेश) क्या होता है?

एक्सक्लूज़न ऑर्डर एप्रिहेंडिड डोमैस्टिक वायलेंस ऑर्डर (ए डी वी ओ) के एक हिस्से के रूप में आपको घर में रहने का अधिकार देता है और हिंसक व्यक्ति को वहाँ रहने से वर्जित करता है या निकलने का आदेश देता है।

ए डी वी ओ के लिए आवेदन देने समय एक्सक्लूज़न ऑर्डर की शर्त का आग्रह भी किया जा सकता है।

यह हिंसक व्यक्ति को संरक्षित व्यक्ति के घर में रहने से रोक सकता है।

क्या यह मेरे लिए उचित रहेगा?

एक्सक्लूज़न ऑर्डर के लिए आवेदन देने से पहले आपको कुछ प्रश्नों पर विचार कर लेना चाहिए:

1. क्या आपका घर में रहना सुरक्षित होगा और आप सुरक्षित महसूस करेंगे?
2. क्या आपको डर लगा रहेगा कि आपके जीवन साथी को आपका पता मालूम है?
3. क्या आपको यह बेहतर लगता है कि आप घर में रहें और हिंसक व्यक्ति को वहाँ से जाना पड़े?
4. क्या आपके बच्चे हैं जिनके लिए आपके साथ घर में रहना बेहतर होगा?
5. क्या घर के खर्च को वहन कर पाना आपके बस का है?

मुझे एक्सक्लूज़न ऑर्डर कैसे मिल सकता है?

यदि ए डी वी ओ के आवेदन में एक्सक्लूज़न ऑर्डर का आग्रह किया गया है तो एक मजिस्ट्रेट ऑर्डर जारी कर सकता है।

ए डी वी ओ का आवेदन देने समय किसी वकील, कोर्ट सपोर्ट वर्कर (अदालती सहायता कार्यकर्ता) अथवा पुलिस अधिकारी से इस विकल्प पर चर्चा कर लेना महत्वपूर्ण होता है।

कभी-कभी प्रोविज़नल ऑर्डर (अंतरिम ऑर्डर) लेते समय उसके हिस्से के रूप में एक्सक्लूज़न ऑर्डर लेना सर्वोचित रहता है और पुलिस हिंसक घटना होने पर इसके लिए आवेदन दे सकती है।

एक्सक्लूज़न ऑर्डर जारी करते समय अदालत किन बातों को ध्यान में रखती है?

एक्सक्लूज़न ऑर्डर जारी किया जाए या नहीं, इस पर विचार करते समय अदालत कई बातों को ध्यान में रखती है। ये बातें हैं:

1. यदि ऐसा ऑर्डर जारी नहीं किया जाता तो संरक्षित व्यक्ति, और यदि घर में कोई बच्चे रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा और संरक्षण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।
2. ऑर्डर जारी किए जाने या न किए जाने पर किस प्रकार की कठिनाईयाँ आ सकती हैं, विशेष रूप से संरक्षित व्यक्ति और यदि बच्चे शामिल हैं तो उनके लिए।
3. सभी संबंधित व्यक्तियों की आवास की आवश्यकताएं, विशेष रूप से संरक्षित व्यक्ति और यदि बच्चे शामिल हैं तो उनके लिए।
4. कोई भी अन्य सुसंगत जानकारी।

एक्सक्लूज़न ऑर्डर के किसी भी तरह से भंग किए जाने पर पुलिस को रिपोर्ट करना न भूलें।

हमेशा अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखें

मैं सहायता के लिए किससे संपर्क करूँ?

पुलिस / एंबुलेंस	(तीन ज़ीरो) 000
डोमैस्टिक वायलेंस लाईन (घरेलू हिंसा सेवा) (Domestic Violence Line)	1800 656 463
एन एस डब्ल्यू रेप क्राइसिस सेंटर (न्यू साउथ वेल्स बलात्कार संकट केंद्र) (NSW Rape Crisis Centre)	1800 424 017
कम्युनिटी सर्विसिज़ हेल्पलाइन (सामुदायिक सहायता सेवा) (FACS Child Protection Help Line)	13 21 11
वीमैन्स लीगल सर्विसिज़ एन एस डब्ल्यू (न्यू साउथ वेल्स महिलाओं की कानूनी सेवाएं) (Women's Legal Services NSW)	(02) 9749 5533
सिडनी में	1800 801 501
सिडनी से बाहर	

डोमैस्टिक वायलेंस एडवोकेसी सर्विस (घरेलू हिंसा वकालती सेवा) (Domestic Violence Advocacy Service)	सिडनी में (02) 8745 6999
	सिडनी से बाहर 1800 810 784
इमिग्रेंट वीमैन्स स्पीकआउट (आप्रवासी महिलाओं की आवाज़) (Immigrant Women's Speakout)	(02) 9635 8022
किड्स हेल्पलाइन (बच्चों के लिए सहायता सेवा) (Kids Helpline)	1800 551 800
फाइनैशियल असिस्टेंस सेंटरलिनक (सेंटरलिनक आर्थिक सहायता) (Financial Assistance Centrelink)	13 61 50

ट्रांसलेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग सर्विस
(डुभाषिया और अनुवाद सेवा - टिस) (TIS) 13 14 50

आपके नज़दीकी पुलिस थाने या स्थानीय अदालत के बारे में जानकारी स्थानीय टेलीफ़ोन डायरेक्टरी के आरंभिक पृष्ठों में उपलब्ध है



Family &
Community Services
Community Services